समिति के कार्यकलापों के नियंत्रण एवं उसके विभिन्न प्रशासी निर्णयों के लिए उसके अन्तर्गत सरकार द्वारा शासी निकाय तथा कार्यकारिणी समिति का गठन किया गया।

झारखण्ड महिला विकास समिति के शासी निकाय का निम्न स्वरूप हैः–

- मुख्य सचिव, झारखण्ड – अध्यक्ष
- विकास आयुक्त, झारखण्ड
- प्रधान सचिव / सचिव, समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग, झारखण्ड – संयोजक
- प्रधान सचिव / सचिव, वित्त विभाग, झारखण्ड
- प्रधान सचिव / सचिव, कल्याण विभाग, झारखण्ड
- प्रधान सचिव / सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड
- प्रधान सचिव / सचिव, उद्योग विभाग, झारखण्ड
- निदेशक, हॉली क्रॉस सोशल सर्विस सेन्टर, झारखण्ड

झारखण्ड महिला विकास समिति की कार्यकारिणी समिति का निम्न स्वरूप हैः–

- प्रधान सचिव / सचिव, समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग– – अध्यक्ष संयोजक
- निदेशक, समाज कल्याण, झारखण्ड
- आदिवासी कल्याण आयुक्त, झारखण्ड
- निदेशक, प्राथमिक शिक्षा , झारखण्ड
- निदेशक, उद्योग विभाग, झारखण्ड
- परियोजना निदेशक, झारखण्ड महिला विकास समिति – संयोजक
- निदेशक, जेवियर समाज सेवा संस्थान, राँची
- निदेशक, विकास भारती विशुनपुर, गुमला

प्रारम्भ में समिति के द्वारा विश्व बैंक– आइफाड संपोषित महिला सशक्तिकरण को लक्षित स्वशक्ति परियोजना का क्रियान्वयन राज्य के 5 जिलों के कुल 19 प्रखण्डों में किया जा रहा था। जून, 2005 में स्वशक्ति परियोजना के समापन के बाद राज्य सरकार के संकल्प सं० 177 दिनांक 21.02.2006 के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लेते हुए कि समिति विभाग के एक अंग के रूप में कार्य करेगी, समिति के पूर्व अनुभवों के आधार पर इसे समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग के अन्तर्गत क्रियान्वित निम्नलिखित योजनाओं के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण का कार्य सौंपा गया।

- स्वयंसिद्धा (समेकित महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम),
- किशोरी शक्ति योजना,
- महिलाओं में दक्षता एवं उद्यमिता विकास हेतु प्रशिक्षण,
- स्वाधार,
- स्टेप (Support to Training and Employment Programme), तथा
- स्वशक्ति परियोजना के अन्तर्गत गठित संकुलों एवं व्यवसाय परामर्श केन्द्रों को सहयोग प्रदान करना।

वित्तीय वर्ष 2009–10 के उत्तरार्द्ध में तथा वित्तीय वर्ष 2010–11 में समिति को उपरोक्त योजनाओं के अलावा सबला, इन्दिरा गाँधी मातृत्व सहयोग योजना, महिला सशक्तिकरण हेतु राष्ट्रीय मिशन आदि योजनाओं के कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण की जिम्मेदारी दी गई।

तदोपरान्त समिति के द्वारा उपर्युक्त योजनाओं का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण किया जा रहा है।

समिति की वर्तमान संरचना

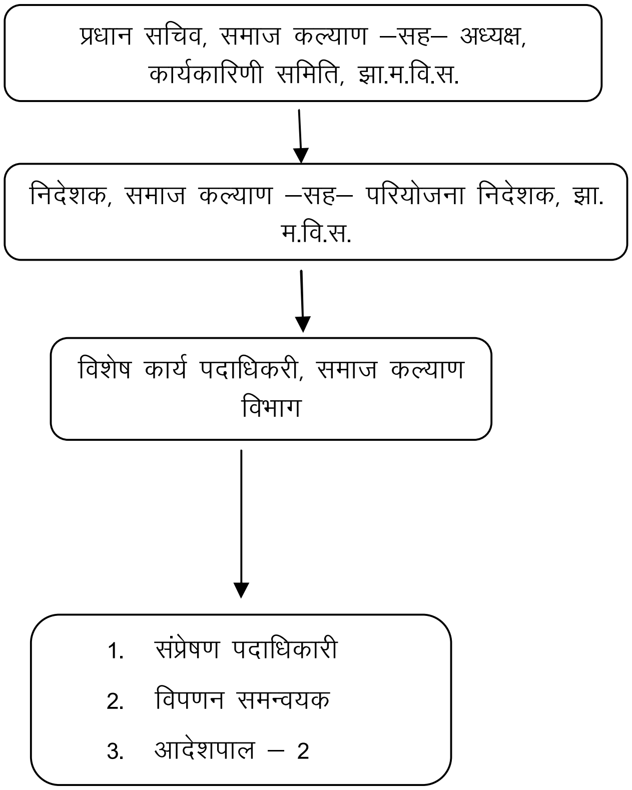

अतः झारखण्ड महिला विकास समिति द्वारा समाज कल्याण निदेशालय के पर्यवेक्षण में महिला सशक्तिकरण एवं अन्य संबंधित योजनाओं का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण किया जा रहा है।